**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 148970 / पटना, दिनांक- 21/05/2013

ग्रा0वि0-1/स्था0(प्रशिक्षण)-35/2012

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा,**
सचिव ।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना।

**विषय :- MGNREGA प्रशिक्षण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने के निमित्त माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक-16.04.13 को बिपार्ड के पदाधिकारियों एवं IL & FS के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी । माननीय मंत्री द्वारा विभागीय पदाधिकारियों एवं IL & FS के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न बैठक के समीक्षोपरान्त निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का निदेश दिया गया है:-

1. मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डर का बिपार्ड द्वारा चयनित संस्था IL & FS से प्रक्रियाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार पर माननीय मंत्री ने जोर दिया है। इस निमित्त प्रेस तथा जन साधारण एवं संबंधित कर्मियों तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सूचना दिये जाने की आवश्यकता है।
2. मुखिया एवं कार्यक्रम पदाधिकारी/कर्मियों के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।
3. मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की महती भूमिका को देखते हुए केवल चयनित वार्ड सदस्यों को ही नहीं; बल्कि सभी वार्ड सदस्यों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इस निमित्त यदि आवश्यक हो तो 3 (तीन) दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संक्षिप्त (तीन दिन से कम) कर सभी को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जाय।
4. MIS Entry से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण विशेषत: कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवकों के लिए अत्यावश्यक है। इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है।
5. मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक् होल्डर को दिये जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में जिला स्तर से फीडबैक प्राप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही इस आधार पर यथोचित सामायिक सुधार अपेक्षित है ।

अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।

**ज्ञापांक :-** 148970 / **पटना, दिनांक :-** 21/05/2013

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव ।